BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 06 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने के 02 आरोपियों को 04-04 वर्ष के कारावास व 6300-6300/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. राहुल पुत्र जसवंत, 2. गोलू उर्फ विपिन पुत्र भल्लू उर्फ राजू निवासीगण ग्राम बरौली वासुदेवपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपने ही गांव के एक व्यक्ति को लाठी-डंडो के लैस होकर मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.09.2020 को थाना स्याना पर मुअसं-388/2020 धारा 147, 148, 307/149, 323/149, 308/149, 504 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.11.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 06.09.2024 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे-12 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल व गोलू उर्फ विपिन उपरोक्त को 04-04 वर्ष का कारावास व 6300-6300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार व श्री प्रवेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर